न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 115/2022, जिला सीकर

1. मूर्ति मन्दिर श्री रघुनाथजी ग्राम डूंगरवास तहसील नेछवा जिला सीकर जरिये पुजारी किशनलाल पुत्र परमाराम जाति ब्राहम्ण (पुजारी) निवासी डूंगरवास तहसील नेछवा जिला सीकर राज0।

—अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार नेछवा तहसील नेछवा जिला सीकर राज0।

—रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 04.08.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगण जिला सीकर प्रकरण संख्या 116/2021 उनवानी मूर्ति मन्दिर श्री रघुनाथजी बनाम तहसीलदार नेछवा।

उपस्थित—

1. श्री अरविन्द कौशिक वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक —11.10.2022

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के निर्णय दिनांक 04.08.2022 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के समक्ष खसरा नं. 43 रकबा 10.69 है0 जिसके नवीन खसरा नं. 77 रकबा 10.7000 है0 वाके ग्राम डूंगरवास में स्थित भूमि के खोले गये नामान्तरकरण संख्या 136 दिनांक 30.05.1992 को गलत बताते हुये निरस्त फरमाये जाने की अपील की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.08.2022 को प्रार्थना पत्र को खारिज करने के आदेश दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 04.08.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ दिनांक 04.08.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अलमशहुर मन्दिर श्री रघुनाथजी वाकै ग्राम डूंगरवास तह0 नेछवा में अवस्थित है उक्त मंदिर के नीचे खसरा नं. 43 रकबा 10.69 है0 जिसके नवीन खसरा नं. 77 रकबा 10.7000 है0 बनाये गये है। उक्त मंदिर के पुजारी पूर्व में हनुमाना, परमा पिता मन्दरूपा कौम ब्राहम्ण रहे हैं जिनका नाम बहैशियत पुजारी रिकार्ड जमाबंदी में सम्वत् 2012 से 2050 तक रहा है। पूर्व पुजारी परमा के देहान्त उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण 130 दिनांक 18.05.1989 जो वर्तमान में अपीलांट व उसकी माता श्रीमती तीजू देवी के नाम से दर्ज किया गया है जो कि मूर्ति मंदिर जरिये पुजारी किशनलाल वगै0 था। तीजू देवी के देहान्त उपरान्त प्रार्थी वर्तमान में निरन्तर मंदिर की सेवा पूजा करते चले आ रहे है किन्तु नामान्तरकरण संख्या 136 दिनांक 30.05.1992 के माध्यम से पुजारी का नाम हटाकर केवल मात्र मंदिर रघुनाथजी का नाम दर्ज कर

Scanned with OKEN Scanner

दिया गया है जिसके कारण से पुजारी मंदिर का कोई भी कार्य नहीं कर पा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उच्चतम न्यायालय के मूर्ति मंदिर की भूमियों के संबंध में आदेश दिनांक 13.12.1991 का गलत अर्थ निकालते हुये मनमर्जी से एवं तहसीलदार नेछवा की रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.08.2022 पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ दिनांक 04.08.2022 निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 13.12.1991 को मूर्ति मंदिर की भूमियॉं जिनमें खातेदरों का नाम दर्ज हो गया है को दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिअनुरूप ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त विवाद माफी मंदिर रघुनाथजी वाकै ग्राम डूंगरवास तह0 नेछवा के पुजारी की विरासत के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण संख्या 136 दिनांक 30.05.1992 को लेकर है। अपीलांट द्वारा लगभग 30 वर्षों बाद अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर में धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत् उक्त नामान्तरकरण की अपील पेश की गई। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत केवल राजस्व अभिलेख में रही लिपिकीय/टंकण त्रुटि को ही पक्षकारों की सहमति के आधार पर दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है। प्रस्तुत प्रकरण लिपिकीय त्रुटि का नहीं है बल्कि नामान्तरकरण को चुनौती देने का है। नामान्तरकरण की अपील धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत 30 वर्ष पश्चात् किया जाना विधिसम्मत नहीं है एवं सारहीन व अस्पष्ट(Vague) प्रार्थना पत्र है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगण जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

<u>अतः आदेश है किः</u> अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर का निर्णय दिनांक 04.08.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गिरीश पालीवाल)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर